कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक : मान्यता / 68 /2016 –2017 दिनांक : 01-04-2016

प्रबन्धक
जे0पी0 पब्लिक स्कूल,
कांतौर, कासगंज।

विषय :– नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 12/07/2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **जे0पी0 पब्लिक स्कूल, कांतौर कासगंज** को तारीख **19.03.2016** से तारीख **18.03.2019** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **नर्सरी** से कक्षा 8 **अंग्रेजी माध्यम** तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबाध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा को अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथस्तिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश का पालन करेगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटूशने शुल्क का संग्रहण करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु को सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
   विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –
   (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (II) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

क्रमश:.......2 पर

(IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाधिक किये गये अनुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(V) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के आधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतक अर्हतायें अर्जित करेंगे।

(VII) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

(VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ठ विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं –

कुल निर्मित क्षेत्र
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक सह कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए प्रथक–प्रथक शौचालय
पेयजल सुविधा
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई
वाधारहित पहुंच
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि व्यटिगों के समूह का संगम या किन्ही अंय व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड...8.07/...........है। कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक को उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निर्देश/ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के

क्रमशः.......3 पर

ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मानरूता संबंध शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जावे।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

भवदीय

(दीवान सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

कासगंज

कार्यालयः सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), अलीगढ़ मण्डल।

आदेश संख्याः /2021—22 दिनांक : 23-12-2021

नाम परिवर्तन आदेश

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के पत्रांक जि0बे0शि0/14880/2020—21 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा प्रबन्धक, जे0पी0 पब्लिक स्कूल कांतौर, कासगंज का प्रार्थना पत्र विद्यालय के नाम परिवर्तन किये जाने हेतु अग्रसारित करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज के माध्यम से प्राप्त विद्यालय की ट्रस्ट प्रबन्धाधिकरण की बैठक का प्रस्ताव संख्या— 15 दिनांक 15.01.2021 में ट्रस्ट के समस्त तीनों सदस्य अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की स्वीकृति के आधार पर सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के पत्रांक बे0शि0प0/सामान्य(5)/24454—532/1994—95 दिनांक 25,मार्च 1995 के प्रस्तर—2 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी पत्रावली में रक्षित पत्राजातों के आधार पर जे0पी0 पब्लिक स्कूल कांतौर, कासगंज के स्थान पर जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, कांतौर, कासंगज का नाम परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यदि उक्त के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार के तथ्य गोपन की बात संज्ञान में आती है तो उस स्थिति में इस आदेश को निरस्त कर दिया जायेगा।

डा0 (पूरन सिंह)
सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
अलीगढ़ मण्डल, मडराक अलीगढ़

पृ0सं0: 1427-29 /2021—22 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज।
3. प्रबन्धक, जी0डी0 गोयनका पब्लिक स्कूल, कांतौर, कासंगज ।

23.12.21

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
अलीगढ़ मण्डल, मडराक अलीगढ़

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा0प0नि0/ /2021–22/लखनऊ दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

विषय– एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा0प0नि0/5654/2021–22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री राबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।